



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112025-267857
CG-MH-E-20112025-267857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5116]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947

No. 5116]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

रेल मंत्रालय
(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 नवम्बर, 2025

का.आ. 5287(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में नामित अधिकारियों को "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में उक्त अधिनियम के तहत आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अधिकृत करती है। विशेष रेलवे परियोजना "सड़क ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण" के संबंध में गुजरात राज्य में पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के सामाखियाली-गांधीधाम खंड में एलसी संख्या 225,235,199,200,203,205, 211,215,219, 227, 231 और 233 को बंद करने के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित उप-डिवीजनों (तालुका) से संबंधित, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए।

सारणी

क्रम सं.	सक्षम अधिकारी	उपखंड (तालुका)	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, भचाऊ	भचाऊ	कच्छ

2	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भू-अर्जन अधिकारी, अंजार	अंजार	कच्छ
---	---	-------	------

[फा. सं. E-675406-01]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th November, 2025

S.O. 5287(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in in column (2) of the Table below as “Competent Authority” to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Project of “Construction of Road Over Bridges(ROB) in connection with closure of LC No. 225,235,199,200,203,205,211,215, 219,227, 231 & 233 in Samakhiali-Gandhidham Section of Ahmedabad Division of Western Railway in Gujarat state, relating to Sub-Divisions mentioned in Column (3) Districts mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Sub Division (Taluka)	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Bhachau	Bhachau	Kutch
2	Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer,	Anjar	Kutch

[F. No. E-675406-01]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (Const.)-II